

(77)

राजस्थान सरकार

स्थानीय स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.3(50) नविवि/3/2012

जयपुर, दिनांक:-31.05.2012

अधिसूचना

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम 2012 के नियम 7 के उप-नियम (4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा, निम्नांकित सारणी के कॉलम संख्या 2 में वर्णित स्थानीय प्राधिकारियों के क्षेत्र के लिए उनके सम्मुख कॉलम संख्या 3 में वर्णित अधिकारियों को ऐसे अधिकारी के रूप में नियुक्त करती है जिन्हें उक्त नियम 7 के उप-नियम (4) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी निश्चित कालावधि के पश्चात् लम्बित प्रकरणों को प्रस्तुत करेंगे :-

क्र.सं.	स्थानीय प्राधिकारी का नाम	अधिकारी का पद नाम
1	2	3
1	जयपुर विकास प्राधिकरण और जोधपुर विकास प्राधिकरण	जयपुर विकास प्राधिकरण, या यथास्थिति, जोधपुर विकास प्राधिकरण का सचिव
2	नगर सुधार न्यास, अजमेर, उदयपुर, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी	नगर सुधार न्यास, अजमेर, उदयपुर, कोटा, अलवर, भीलवाड़ा, या यथास्थिति, भिवाड़ी का सचिव
3	अध्यक्ष, नगर सुधार न्यास, श्रीगंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, जैसलमेर और आबू	नगर सुधार न्यास, श्रीगंगानगर, बीकानेर, भरतपुर, जैसलमेर, या यथास्थिति, आबू का अध्यक्ष
4	संबंधित नगरपरिषदें (उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर को छोड़कर)	स्थानीय निकाय विभाग का संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक
5	संबंधित नगरपालिका मण्डल (भिवाड़ी, आबू रोड, आबू पर्वत, चौमूं और बगरु को छोड़कर)	स्थानीय निकाय विभाग का संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक

राज्यपाल की आज्ञा से,


(आर०के० पारीक)
उप शासन सचिव-द्वितीय

(184)

राजस्थान सरकार
स्थानीय स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक प.3(50) नविवि/3/2012

जयपुर, दिनांक:-31.05.2012

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/राजस्व विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग/राजस्व विभाग/विधि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
8. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
9. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
10. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
11. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान सरकार, जयपुर।
12. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
13. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि इस अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में तुरन्त कराया जावे।
14. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजपत्र के असाधारण अंक में तुरन्त प्रकाशन के लिए अधिसूचना की दो प्रतियां मय साफ्ट प्रति के साथ। यह भी अनुरोध है कि राजपत्र के 300 प्रतियां इस विभाग को प्रेषित की जावे।
15. समस्त सचिव, नगर सुधार न्यास, राजस्थान।
16. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/मण्डल राजस्थान।
17. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव-द्वितीय